



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28022020-216450
CG-DL-W-28022020-216450

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 07] नई दिल्ली, फरवरी 16—फरवरी 22, 2020, शनिवार / माघ 27—फाल्गुन 3, 1941
No. 07] NEW DELHI, FEBRUARY 16—FEBRUARY 22, 2020, SATURDAY/MAGHA 27—PHALGUNA 3, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

x g ei=ky ;

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2020

1क-dkfu-28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद (कैमरामैन, ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक और स्टूडियो परिचर) भर्ती नियम, 1988 को जहाँ तक उनका संबंध कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. 1if{klr uke v{kj ikjHk.—

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक) भर्ती नियम, 2020 है।

(ii) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. in dh i i [; k] oxh d j . k vkj oru efVD i ei L r j .—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. Hk r h dh i) fr] vk ; i & thek] v g | r k , i] vkfn .— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. fu j g | r k .—वह व्यक्ति —
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. f' k f k y d j u i dh ' k f D r .—जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह कारण को लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. 0 ; k o f R r .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

v u i l i p h

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु—सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	01* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर — 3 (रू.21700—69100/-)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के मध्य। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) f i . kh 1 — आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।) f i . kh 2 & रोजगार	v k o ' ; d & 1. राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के बोर्ड या महाविद्यालय या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या महाविद्यालय से विज्ञान विषयों में इंटरमीडिएट या 10+2 उत्तीर्ण और 2. किसी भी केन्द्रीय या राज्य न्यायिक प्रयोगशाला में एक वर्ष का कार्य का अनुभव। o k N u h ; — कंप्यूटर में कार्यसाधक ज्ञान।

					कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
--	--	--	--	--	---

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति (Promotion) : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे प्रयोगशाला परिचर जिन्होंने स्तंभ संख्या 7 में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता के साथ वेतन मैट्रिक्स स्तर -1 (रु. 18000-56900) में छह वर्ष नियमित सेवा की हो। विभागीय प्रयोगशाला परिचर जिनकी वेतन मैट्रिक्स स्तर -1 (रु. 18000-56900) में छह वर्षीय नियमित सेवा है तथा प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति पर विचार के लिए निर्धारित अर्हता एवं अनुभव है, उन पर भी बाह्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी पद पर नियुक्ति हेतु चयनित होता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। केंद्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले दूसरे भूतपूर्व काडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति अवधि साधारणतः रूप से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु उच्चतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>1. उप निदेशक — अध्यक्ष</p> <p>2. सहायक निदेशक(वैज्ञानिक सहायता) — सदस्य</p> <p>3. प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या श्रेणी 3 — सदस्य</p>	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23011/23/2019-पीटी]

बी. के. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 13th February, 2020

G.S.R. 28 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (Cameraman, Senior Laboratory Assistant, Junior Assistant and Studio Attendant) Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the post of Junior Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Laboratory Assistant in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (Junior Laboratory Assistant) Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the Other Backward class and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Laboratory Assistant.	1* (2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs. 21700-69100).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the	Essential: 1. Intermediate or 10 + 2 pass with Science subjects from a State or Central Government Board or College or State or Central Government recognised Board or College; and	Not applicable.	Two years for direct recruit.

<p>closing dated for receipt of application and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Ladakh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union territory of Lakshadweep.</p> <p>Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p>2. One year working experience in any Central or State Forensic Laboratory.</p> <p>Desirable: Working knowledge of computers.</p>		
--	---	--	--

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation failing which by direct recruitment.	<p>Deputation: Laboratory Attendant with six years regular service in level-1 (Rs. 18,000-56,900) of the pay matrix and possessing the qualifications specified in Column (7).</p> <p>Note 1: Departmental Laboratory Attendant with six years of regular service in level-1 in the pay matrix (Rs. 18,000 – 56,900) and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall also be considered along with the outsiders and in case departmental Laboratory Attendant selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion.</p>	<p>Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Deputy Director – Chairman; (2) Assistant Director (Scientific Aids) -Member; (3) Administrative Officer Grade-II or Grade – III – Member.</p>	Not applicable.

	<p>Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3: The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.</p>		
--	---	--	--

[F. No. 23011/23/2019-PT]
B. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2020

18-02-2020.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (अराजपत्रित कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 1959 को जहां तक उनका संबंध कंपाउंडर के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. 18-02-2020.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (फार्मासिस्ट) भर्ती नियम, 2020 है।
(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. 18-02-2020.— पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. 18-02-2020.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. 18-02-2020.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. 18-02-2020.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह कारण को लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. 18-02-2020.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

v u l i p h

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फार्मासिस्ट	01* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29,200-92,300 रु.)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के मध्य (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) r\l i .kh&1 - आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।) r\l i .kh&2- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ; 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मसी में डिप्लोमा और किसी राज्य फार्मसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड ; 3. किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में फार्मासिस्ट के रूप में 2 वर्ष का अनुभव। o k N u h ; & कम्प्यूटर का प्रयोग करने में सक्षमता- ऑफिस अप्लीकेशन, स्प्रेड शीट्स तथा प्रजेन्टेशन्स कार्य में अनुभव होना ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	क) केन्द्रीय या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29,200-92,300 रु.) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है। ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हैं। ग) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। घ) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पुष्टि समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
1. उप निदेशक 2. सहायक निदेशक 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 23011/13/2017-पीटी]
ब्रजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 18th February, 2020

G.S.R. 29.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Police Training College (Non-gazetted Staff) Recruitment Rules, 1959, in so far as they relate to the post of Compounder except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Pharmacist) Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.**—No person,-
 (c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen, other backward classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pharmacist.	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service: Group C, (Non-Ministerial) (Non-Gazetted)	Level 5 in the pay matrix Rs. 29,200 –92,300.	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18-25 years. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application and not the closing date prescribed for these in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Ladakh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands and the Union territory of Lakshadweep. Note 2: The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Educational qualifications: (i) 12 th class pass from recognised Board or University; (ii) diploma in Pharmacy from a recognised Institution and registered as a Pharmacist with any State Pharmacy Council; (iii) two years' experience as Compounder or Pharmacist or dispensing in any recognised Hospital. Desirable: Ability to use computers - Hands on experience in office applications, spread sheets and presentations.	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years for direct recruitment.	By deputation failing which by direct recruitment.	<p>Deputation:</p> <p>(a) Officers from among the Central or State Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department in level 5 (Rs. 29,200 – 92,300) in the pay matrix.</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment for deputation or absorption shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Group 'C' Department Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of the following:—</p> <p>(1). Deputy Director - Chairman (2). Assistant Director - Member (3). Chief Medical Officer/ Medical Officer - Member</p>	Not applicable.

[F. No. 23011/13/2017-PT]

B. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2020

1k-dkfu-30.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (जिल्दसाज और परिचर) भर्ती नियम, 1981 और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (पुस्तकालय परिचर) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में पुस्तकालय परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. 1f{klr uke vkj ikjHk.—

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, पुस्तकालय परिचर भर्ती नियम, 2020 है।
(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. in dh i[;k] oxh d j.k] oru elVD i ei Lrj.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. Hkrh dh i)rr] vk; iThek vkj vglrk, i vkfn.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. fu jglrk.—वह व्यक्ति —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. r'krfky dju dh 'krDr.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. 0;koir.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

v u i l p h

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु—सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय परिचर	02* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर— 1 (18000—56900 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) r\i.k 1 — आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन	vko'; d } & 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्यूलेशन। 2. सरकारी संस्थान/ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान / पुस्तकालय सूचना विज्ञान में प्रमाण पत्र। oklNuh; — 1. पुस्तकालय में एक वर्ष का

					प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, केन्द्रशासित प्रदेश अंदमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप या लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	कार्यानुभव। 2. कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।
--	--	--	--	--	---	---

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>1. उप निदेशक</p> <p>2. सहायक निदेशक</p> <p>3. पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना अधिकारी</p>	लागू नहीं होता।
—अध्यक्ष	
—सदस्य	
—सदस्य	

[फा. सं. 23011/36/2017—पीटी]
बी. के. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 19th February, 2020

G.S.R. 30.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Book Binder-cum-Attendant) Recruitment Rules, 1981 and Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Library Attendant) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Attendant in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely : —

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Library Attendant Recruitment Rules, 2020.
(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the above said post:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the Other Backward class and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Library Attendant	02* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18,000 – 56,900/-)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the	Essential: 1. Matriculation from any Government recognised Board. 2. Certificate in Library Science or Library	Not applicable.

<p>Central Government from time to time).</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep and the Union territory of Ladakh.</p> <p>Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p>Information Science from Government Institution or Government recognised Institution.</p> <p>Desirable:</p> <p>1. One year experience of working in a Library; 2. Working knowledge of Computers.</p>	
---	---	--

Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years	By direct recruitment	Not applicable	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <p>(1) Deputy Director – Chairman (2) Assistant Director – Member; (3) Library and Information Officer – Member.</p>	Not applicable.

[F.No. 23011/36/2017-PT]

B. K. SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीरम विज्ञान विभाग, कोलकाता (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता में ज्येष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता, ज्येष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि .— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन	08* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपए)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 3(21700-69100 रुपये) में विभाग में प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

	<p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रोन्नति की पात्रता की सूची संबंधित श्रेणी या पद में अधिकारियों द्वारा निर्धारित अर्हता सेवा को पूरा करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p>
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर सिरोलोजिस्ट या ज्येष्ठतम सहायक सिरोलोजिस्ट, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष 2. सहायक सिरोलोजिस्ट, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता - सदस्य 3. लेखा अधिकारी, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता - सदस्य 4. कोलकाता स्थित अन्य केन्द्र सरकार के कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य 	लागू नहीं होता

[सं. ए.12018/09/2014-एम एच-III]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 13th February, 2020

G.S.R. 31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Serologist Department, Kolkata (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Senior Laboratory Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Laboratory Technician in Ministry of Health and Family Welfare, Institute of Serology, Kolkata, namely:-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Institute of Serology, Kolkata, Senior Laboratory Technician (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Laboratory Technician.	8 * (2020) *subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C,' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 5 in the pay matrix (Rs. 29200- 92300)	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100 percent by promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Laboratory Technician of the Department with ten years regular service in the level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100). Note 1: Where Junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less , and have successfully completed probation period for promotion to the next higher</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee: (for considering promotion): (consisting of): (1) Additional or Senior most Assistant Serologist, Institute of Serology, Kolkata - Chairman. (2) Assistant Serologist,, Institute of Serology Kolkata -Member. (3) Accounts Officer, Institute of Serology, Kolkata - Member (4) One Gazetted Officer from other Central Government Office in Kolkata -Member.</p>	Not applicable.

<p>grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.</p>		
--	--	--

[No. A.12018/09/2014-MH-II]
G.K. PILLAI, Under Secy.

(सीजीएचएस प्रभाग)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 32 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (प्रशासनिक अधिकारी) समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इससे सहमत है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
प्रशासनिक अधिकारी	25* (2020) अहमदाबाद - 1 इलाहाबाद - 1 बेंगलुरु - 1 चेन्नई - 1 दिल्ली - 12 हैदराबाद - 2 जयपुर - 1 कानपुर - 1 कोलकाता - 1 लखनऊ - 1 मुंबई - 1 नागपुर - 1 पुणे - 1 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600-151100)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत कर्मचारियों के मामलों में भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जानी है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जाने वाली भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति ऐसे कार्यालय अधीक्षक जो ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (रु.35400-112400) में विभाग द्वारा यथा विहित 2 से 4 सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो। प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में स्तर-7 (रु.449000-142400)या सदृश में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में दो

				<p>वर्ष की सेवा की है; और</p> <p>ख. जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है :-</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से डिग्री।</p> <p>(ख) सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय में लेखा, प्रशासन, स्थापना में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके पास कनिष्ठ व्यक्तियों से कम अथवा दो वर्ष से कम अर्हक या पात्रता सेवा, इनमें से जो भी कम हो, न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति की अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारिता किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>पोषक प्रवर्ग श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>
--	--	--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति में होंगे:-</p> <p>(1) निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - अध्यक्ष</p> <p>(2) निदेशक (प्रशासन और सतर्कता) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य</p> <p>(3) उप सचिव/अवर सचिव (प्रशासन) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - सदस्य</p>	<p>प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद को भरते समय आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

[सं. ए-12018/06/2018-सीजीएचएस-1]

मनोज कुमार वर्मा, अवर सचिव

(CGHS DIVISION)

New Delhi, the 13th February, 2020

G.S.R. 32.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Government Health Scheme (Administrative Officer) Group 'B' Gazetted post Recruitment Rules, 2002, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the said post of Administrative Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation (Administrative Officer) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in Pay Matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. .—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer	25* (2020) Ahmedabad - 1 Allahabad - 1 Bangaluru - 1 Chennai - 1 Delhi - 12 Hyderabad - 2 Jaipur - 1 Kanpur - 1 Kolkata - 1 Lucknow - 1 Mumbai - 1 Nagpur - 1 Pune - 1 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100)	Selection Post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion /deputation /absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation	<p>Promotion: Office Superintendent in Level- 6 (Rs. 35400-112400) in the Pay matrix with six years regular service in the grade and have successfully completed 2 to 4 weeks training as prescribed by the department.</p> <p>Deputation: Officers under the Central Government/State Government or Union Territories – A. (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and B. possessing the following Educational Qualification and Experience: (i) Degree of a recognised University or Institute. (ii) Two years experience in Accounts, Administration, Establishment work in a Government Office or Public Sector Undertakings or autonomous body or statutory body.</p> <p>Note:- Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post has immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p> <p>The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee consisting of:- (1) Director, Central Government Health Scheme - Chairman (2) Director (Administration and Vigilance) Directorate General of Health Services - Member (3) Deputy Secretary/Under Secretary (Administration) Central Government Health Scheme - Member	Consultation of the Commission is necessary while filling up the post on deputation basis.

[No.A-12018/06/2018-CGHS-I]

MANOJ KUMAR VERMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व विलिंगडन अस्पताल तथा नर्सिंग होम (समूह 'IV') भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध दर्जी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल एवं नर्सिंग होम, नई दिल्ली में दर्जी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली दर्जी, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दर्जी	2* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की दशा में आयु पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण-1 :-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष अर्हता; और (ख) केंद्रीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से कर्तन और सीवन का प्रमाण-पत्र या समतुल्य। टिप्पण-1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-2 अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं। जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे: 1. चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष 2. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य 3. उप निदेशक, प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं. ए. 11018/48/2019-एम.एच. -II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 14th February, 2020

G.S.R.33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the erstwhile Willingdon Hospital and Nursing Home (Class IV) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Tailor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Tailor in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital and Nursing Home, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Tailor (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classifications, level in the pay matrix.—The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tailor	2* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the pay matrix (18000-56900)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
<p>Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from employment exchange shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.</p>	<p>(i) Matriculation or its equivalent qualification from a recognised Board And (ii) Certificate of cutting and tailoring from ITI recognised from Central or State government institution or equivalent.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<p>Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Chairman;</p> <p>(2) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Member;</p> <p>(3) Deputy Director Administration, of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Member;</p>	Not applicable.

[No. A. 11018/48/2019-MH-II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 34 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, समूह "क" और समूह "ख" राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों के भर्ती नियम, 1995 को, जहाँ तक उनका संबंध सहायक निदेशक (भाषा) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें

अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सहायक निदेशक (भाषा) के पद पर भर्ती पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली, समूह "क" भर्ती नियम 2020 है ।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**— जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहीं वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (भाषा)	36* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	चयन पद	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो तो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	67 प्रतिशत प्रोन्नति से, ऐसा न होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति से; और 33 प्रतिशत अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति से ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>66^{1/2} प्रतिशत प्रोन्नति सहायक अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7, रु.44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा जिन्होंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो।</p> <p>33^{1/2} प्रतिशत प्रोन्नति मूल्यांकक के ग्रेड से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7, रु.44900-142400/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा जिन्होंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता की सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्विद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी जो;</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 रु. 53100-167800/- अथवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8</p>	<p>समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (भाषाएँ), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) - सदस्य 3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय -सदस्य <p>समूह "क" विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव (भाषाएँ), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) - अध्यक्ष 2. निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय - सदस्य 3. प्रधान संपादक (हिंदी), केंद्रीय हिंदी निदेशालय -सदस्य 	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य।</p> <p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य।</p>

<p>रु. 47600-151100/- या समतुल्य में 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेते हैं; अथवा (iii) संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 रु.44900-142400/- या समतुल्य में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेते हैं; तथा</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ और अनुभव हैं :</p> <p>आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्विद्यालय या समतुल्य से हिंदी अथवा संस्कृत में मास्टर डिग्री अथवा डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी साहित्य सहित भाषाविज्ञान में मास्टर डिग्री (ii) डिग्री स्तर पर अध्ययन के एक विषय के रूप में अंग्रेजी (iii) डिग्री या डिप्लोमा कक्षाओं का अध्यापन या शब्दावली कार्य का अथवा पुस्तकों में तकनीकी लेख लिखने का या अनुवाद का या दोनों का 3 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय : (i) सरकारी संस्थान से हिंदी के प्रयोग को शामिल करते हुए कोश कार्य का अनुभव (ii) कक्षा 10 या किसी अन्य उच्च स्तर पर हिंदी से भिन्न एक भारतीय भाषा का अध्ययन तथा अंग्रेजी से भिन्न एक विदेशी भाषा का अध्ययन।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : केंद्रीय सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>		
---	--	--

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)**

New Delhi, the 6th February, 2020

G.S.R.34.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology, Group (A) and Group (B) Gazetted and Non-Gazetted posts Recruitment Rules, 1995, in so far as they relate to the post of the Assistant Director (Language), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Language) in Central Hindi Directorate, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Central Hindi Directorate, New Delhi, Group 'A' Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification etc.**— The method of recruitment to the said post, age- limit, educational qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person ;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-Service personnel and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in the regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Language)	36 (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non Ministerial, Group A Gazetted	Level-10 in the pay matrix Rs.56100-177500	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
67 per cent. by promotion failing which by deputation including short term contract and 33 per cent. by deputation including short term contract.	<p>Promotion: $66\frac{1}{2}$ per cent. by promotion from the grade of Assistant Research Officer in level 7 of the pay matrix Rs.44900-142400/- with three years service rendered after appointment thereto on regular basis and have completed two to four weeks mandatory training prescribed by the competent authority.</p> <p>$33\frac{1}{2}$ per cent. by promotion from the grade of Evaluator in level 7 of the pay matrix Rs.44900-142400/-with three years service rendered after appointment thereto on regular basis.and have completed two to four weeks mandatory training prescribed by the competent authority.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract) : Officers under the Central or State Government or Union territory Administration or autonomous or statutory organisations or public sector undertaking or Universities or recognised research institution, –</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department, or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 9 of the pay matrix Rs.53100-167800 or in level 8 of the pay matrix Rs. 47600-151100 or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level-7 of the pay matrix Rs. 44900-142400 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>Essential : (i) Masters degree in Hindi or Sanskrit from a recognised University or equivalent or Masters degree in Linguistics with Hindi Literature as one of the subject in degree level;</p> <p>(ii) English as one of the subject of study at degree level;</p> <p>(iii) with three years' experience of teaching degree or diploma classes or terminological work on writing technical articles of books or translation or both.</p> <p>Desirable :(i) Experience of lexicographical work involving use of Hindi from a Government organisation;</p> <p>(ii) studied one Indian Language other than Hindi and one foreign language other than English in 10th standard or any higher level.</p> <p>Note 1 :The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : The period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3 : The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted
(12)	13
1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Chairman/member, Union Public Service Commission -Chairman; (2) Joint secretary (Languages) Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) -Member; (3) Director, Central Hindi Directorate -Member. 2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :- (1) Joint secretary (Languages) Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) - Chairman; (2) Director, Central Hindi Directorate - Member; (3) General Editor (Hindi), Central Hindi Directorate - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F.No.12-1/2016-CHD (Admn.)]
SUMAN DIXIT, Dy. Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (वैज्ञानिक समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में वैज्ञानिक समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (वैज्ञानिक समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग अभिप्रेत है;

(ग) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से किसी भी श्रेणी में प्रोन्नति / पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है।

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(च) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से इन नियमों के अधीन चयन और नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियाँ अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत कोई ऐसी अवधि या अवधियाँ भी हैं;

(i) जिनकी गणना सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय नियुक्त व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए की गई है;

(ii) जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में पद धारण करता किन्तु छुट्टी पर होने के कारण या ऐसा पद धारण करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होने के कारण उसने पद धारण नहीं किया;

(छ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" के वही अर्थ होंगे जो उनको संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और (25) में है;

3. लागू होना.—ये नियम अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, नियम 8 में जैसा उपबंधित है वही होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की विधि, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. सुनम्य कोटिपूरक योजना (एफसीएस) के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए प्रक्रिया -

(i) वैज्ञानिक 'ख' से वैज्ञानिक 'ग' और वैज्ञानिक 'ग' से वैज्ञानिक 'घ' के पद पर स्वस्थाने प्रोन्नति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-14-17 / 37/2008-स्थापना (आरआर) दिनांक 10.09.2010, यथा संशोधित द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाएगी। सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति केवल समूह 'क' वैज्ञानिक पदों पर ही लागू होता है। विभागों या मंत्रालयों में प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य करने वाले वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों पर सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन उन्नयन के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें केवल आश्रित वृत्ति प्रोन्नति योजना (एमएसीपी) के अधीन उन्नयन का लाभ दिया जाना चाहिए।

(ii) सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन सम्मिलित सभी पदों के वेतन मैट्रिक्स, पदनाम और पालन से जुड़ी न्यूनतम रेजीडेन्सी अवधि समान स्तर पर निम्नलिखित होंगी।

पदनाम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पालन से जुड़ी न्यूनतम रेजीडेन्सी अवधि
वैज्ञानिक 'घ'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 12 (रु. 78800)	-
वैज्ञानिक 'ग'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (रु.67700)	चार वर्ष।
वैज्ञानिक 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (रु.56100)	तीन वर्ष।

(iii) मूल्यांकन के दो स्तर होंगे, पहला स्तर स्क्रीनिंग उद्देश्यों के लिए आंतरिक स्तर पर होगा और अगला स्तर चयन के लिए बाह्य मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए होगा। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:

(क) (i) सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन स्क्रीनिंग समिति द्वारा वर्ष में दो बार - 1 जनवरी से पहले और 1 जुलाई से पहले प्रोन्नति की पुनर्विलोकन की जाएगी।

(ii) मूल्यांकन बोर्ड द्वारा वर्ष में दो बार अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई से पहले ऐसे सभी उम्मीदवारों की प्रोन्नति की पुनर्विलोकन की जाएगी जिन्होंने रेज़िडेन्सी की विहित अवधि पूरी कर ली है।

(iii) सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन जनवरी से जून के दौरान परिपक्व होने वाले प्रोन्नति के मामलों की पुनर्विलोकन उसी वर्ष जुलाई के माह में की जाएगी तथा जुलाई से दिसंबर के दौरान परिपक्व होने वाले प्रोन्नति के मामलों का पुनर्विलोकन अगले वर्ष जनवरी माह में की जाएगी।

(ख) यदि कोई पात्र अधिकारी की भारत या विदेश में विदेश सेवा या अध्ययन अवकाश पर है, उसके मामले पर विचार किया जाएगा और यदि ऐसे व्यक्ति को सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन अगली उच्चतर श्रेणी के लिए स्वस्थाने प्रोन्नति का अनुमोदन दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रोन्नति की तारीख केंद्रीय भूजल बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी और वित्तीय लाभ भी उसी तारीख से प्राप्त होगा तथा साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा;

(ग) उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त करने वाले असाधारण मेधावी उम्मीदवारों को रेजिडेन्सी की अवधि में छूट दी जाएगी, यह छूट एक अवसर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा पूरे कैरियर के दौरान यह छूट दो अवसर तक ही सीमित होगी। सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन अगली श्रेणी के लिए मूल्यांकन केवल तीन बार किया जाएगा और तत्पश्चात वैज्ञानिक को संशोधित आश्रित कैरियर उन्नयन योजना (एमएसीपी) के प्रावधानों के अनुसार इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। यदि किसी वैज्ञानिक को एमएसीपी योजना के अधीन कोई श्रेणी में स्वीकृत किया गया है तो सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन अगली श्रेणी के लिए उन पर विचार किया जा सकता है।

(घ) सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन वैज्ञानिकों के उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अनुसंधान और विकास में क्षेत्र अनुभव और / या ऐसी वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुभव अनिवार्य है।

(iv) आंतरिक स्क्रीनिंग का पहला चरण अनुसूची के स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाएगा, जो सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन उन्नयन के लिए मापदंड के अनुसार वार्षिक कार्य रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगी। संशोधित सुनम्य कोटिपूरक योजना के प्रावधान के अनुसार सभी पात्र वैज्ञानिक और जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार बेंचमार्क को पूरा करते हैं, को आईएससी में सम्मिलित किया जाएगा, जो वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्य की वैज्ञानिक सामग्री पर रिपोर्ट करेंगे। आंतरिक स्क्रीनिंग समिति वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्य की वैज्ञानिक सामग्री की निम्नलिखित रिपोर्टिंग प्रारूप में रिपोर्ट करेगी और इसे बाह्य मूल्यांकन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।

आंतरिक स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट:

1. रिपोर्ट की गई वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री का श्रेणीकरण:

2. अभिज्ञात विशिष्ट नवाचार तत्व:

(क)

(ख)

(ग)

3. रिपोर्ट किए गए कार्य की तुलना में इस क्षेत्र में सहकर्मियों से सापेक्ष मूल्यांकन [शीर्ष 10 प्रतिशत 10-33 प्रतिशत 33-50 प्रतिशत 50-75 प्रतिशत निचला 25 प्रतिशत]

4. रेजिडेन्सी अवधि के दौरान किए गए कार्यों का आकलन

5. किए गए कार्य की वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री की विशिष्टता

6. रेजिडेन्सी के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य रिपोर्ट का समग्र श्रेणीकरण अवधि [शीर्ष 10 प्रतिशत 10-33 प्रतिशत 33-50 प्रतिशत 50-75 प्रतिशत निचला 25 प्रतिशत]

आंतरिक स्क्रीनिंग समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर

(v) अनुसूची के स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राधिकारी (स्क्रीनिंग), आंतरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित सभी मामलों पर विचार कर इसको अनुमोदित करेगा और यदि यह निर्णय लिया जाता है कि कोई अधिकारी आकलन बोर्ड द्वारा प्रोन्नति हेतु विचार के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है तो बोर्ड द्वारा उसके मामले को आंतरिक स्क्रीनिंग समिति के विचार के लिए एक वर्ष के पश्चात आंतरिक स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा जाएगा और स्क्रीनिंग के लिए उप नियम (iv) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पुनः पालन किया जाएगा।

(vi) बाह्य मूल्यांकन के दूसरे चरण के उद्देश्य के लिए (बाह्य):

(क) स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिकों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए; सभी वैज्ञानिक जिनकी आंतरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा मूल्यांकन और अनुशंसित किया गया है [और अनुमोदन प्राधिकरण (स्क्रीनिंग) द्वारा अनुमोदित किया गया है] का अनुसूची के स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा;

(ख) मूल्यांकन बोर्ड प्रत्येक वैज्ञानिक की उपलब्धियों का उनके कार्य के संदर्भ में मूल्यांकन करेगा और उच्चतर श्रेणी पर उनकी प्रोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता की सिफारिश करेगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड विचाराधीन अवधि के दौरान ऐसे अधिकारी की

उपलब्धियों के साथ-साथ अपने संबन्धयसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिकारी की निष्ठा और उत्सुकता तथा वैज्ञानिक गतिविधियों और सेवाओं तथा विकासात्मक क्षमताओं, प्रबंधन और नेतृत्व गुणों सहित उच्चतर उत्तरदायित्व लेने की क्षमता पर भी विचार करेगा।

(ग) प्रत्येक वैज्ञानिक के पालन और योग्यता पर विचार करने के पश्चात् मूल्यांकन बोर्ड सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन वैज्ञानिक पर विचार करने की योग्यता के औचित्य में विनिर्दिष्ट: एक पृष्ठ के सार के माध्यम से वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों की विशिष्ट सामग्री का उल्लेख करेगा। मूल्यांकन बोर्ड विशेष रूप से यह प्रमाणित करेगा कि सिफारिश किए गए उक्त वैज्ञानिक द्वारा सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन स्वस्थाने उन्नयन संबंधी समस्त मापदंड पूरे कर लिए गए हैं।

(घ) इस मूल्यांकन के आधार पर, मूल्यांकन बोर्ड निम्नलिखित में से किसी एक की सिफारिश कर सकता है: -

(i) अधिकारी की अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति या;

(ii) यथास्थिति अर्थात् श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं;

(ङ) ऐसे अधिकारी, जिन्हें मूल्यांकन बोर्ड द्वारा यथास्थिति की सिफारिश की गई है, एक वर्ष की अवधि के पश्चात् उनके संतोषजनक प्रदर्शन पर आंतरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा पुनः उनके मामले में विचार किया जाएगा।

(च) ऐसे वैज्ञानिक जो छुट्टी या प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवाओं के कारणों से मूल्यांकन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहते हैं, वे स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(vii) मूल्यांकन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर अनुसूची के स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राधिकरण (मूल्यांकन) द्वारा विचार किया जाएगा और प्रत्येक मामले पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

7. प्रत्येक शाखा में पदों की संख्या निम्नानुसार होगी:

जलभू विज्ञान शाखा :

(क) जलभू विज्ञान शाखा में पदों की कुल संख्या 290 होगी, जिसमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ये पद वैज्ञानिक 'ख' या वैज्ञानिक 'ग' या वैज्ञानिक 'घ' में से किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं। जलभू विज्ञान शाखा में 290 अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या में एक वर्ष में होने वाली रिक्ति वैज्ञानिक 'ख' (जलभू विज्ञान शाखा) के स्तर पर उस विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां होंगी जो 174 से अधिक नहीं हो सकती।

भू-भौतिकी शाखा

(ख) भू-भौतिकी शाखा में पदों की संख्या 31 होंगी। इसमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ये पद वैज्ञानिक 'ख' या वैज्ञानिक 'ग' या वैज्ञानिक 'घ' में से किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं। भू-भौतिकी शाखा में 31 अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या में एक वर्ष में होने वाली रिक्ति वैज्ञानिक 'ख' के स्तर पर उस विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां होंगी, परंतु यह कि कुल वैज्ञानिक 'ख' (भू-भौतिकी) के श्रेणी में पदों की संख्या 25 से अधिक नहीं हो सकती।

रासायनिक शाखा

(ग) रासायनिक शाखा में पदों की कुल संख्या 32 होंगी। इसमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ये पद वैज्ञानिक 'ख' या वैज्ञानिक 'ग' या वैज्ञानिक 'घ' में से किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं। रासायनिक शाखा में 32 अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या में एक वर्ष में होने वाली रिक्ति वैज्ञानिक 'ख' के स्तर पर उस विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां होंगी, परंतु यह कि वैज्ञानिक 'ख' (रासायन) की श्रेणी में पदों की संख्या 23 से अधिक नहीं हो सकती।

जल विज्ञान शाखा

(घ) जल विज्ञान शाखा में पदों की कुल संख्या आठ होगी। इस कुल आठ पदों की संख्या में कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ये पद वैज्ञानिक 'ग' या वैज्ञानिक 'घ' में से किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं। जल विज्ञान शाखा में आठ अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या में एक वर्ष में होने वाली रिक्ति वैज्ञानिक 'ग' के स्तर पर उस विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां होगी, परंतु यह कि वैज्ञानिक 'ग' की श्रेणी में कुल पद सात से अधिक नहीं हो सकते।

जलोल्का विज्ञान शाखा

(ङ) जलोल्का विज्ञान शाखा में पदों की कुल संख्या नौ होंगी। इन नौ पदों की कुल संख्या में कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ये पद वैज्ञानिक 'ख' या वैज्ञानिक 'ग' या वैज्ञानिक 'घ' में से किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं। एक वर्ष में होने वाली रिक्ति जलोल्का विज्ञान शाखा के नौ अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या में वैज्ञानिक 'ख' के स्तर पर उस विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां होगी।

(च) स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए सुनम्य कोटिपूरक योजना को विभागीय वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक 'ख' से वैज्ञानिक 'ग' और वैज्ञानिक 'ग' से वैज्ञानिक 'घ' श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनाया जाएगा। इन श्रेणियों में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के बिना पूर्ण रूप से अंतर-परिवर्तनशीलता होगी, परंतु यह कि प्रत्येक शाखा की कुल पदों की संख्या उस शाखा की स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक न हो, जिसमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

8 निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

9. प्रोन्नति या किसी वैज्ञानिक द्वारा त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरना:

(1) मूल्यांकन के पश्चात् स्वस्थाने प्रोन्नति वैज्ञानिक द्वारा धारित पद वैज्ञानिक के पास ही रहेगा और परिणामस्वरूप कोई रिक्ति नहीं होगी।

(2) जब किसी वैज्ञानिक द्वारा सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र देने या मृत्यु के परिणामस्वरूप पद रिक्त हो जाता है तो उस पद को, जल विज्ञान शाखा को छोड़कर, उनसे संबंधित शाखाओं में वैज्ञानिक 'ख' के स्तर पर भरा जाएगा। जल विज्ञान शाखा के मामले में ऐसी रिक्ति को वैज्ञानिक 'ग' के स्तर पर सीधी भर्ती या प्रोन्नति के रोस्टर के अनुसार भरा जाएगा।

10. भारत के किसी भी भाग या बाह्य सेवा का दायित्व : उक्त पदों पर नियुक्त अधिकारी पर भारत में या बाह्य सेवा करने का दायित्व होगा।

11. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

12. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1. वैज्ञानिक 'ख' (जलभू-विज्ञान)	इस अधिसूचना के नियम 7 के उपनियम (क) में विनिर्दिष्ट अनुसार	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100 रु.)	चयन	32 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण-1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-2: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या समुद्री भूविज्ञान या जलभू विज्ञान में मास्टर डिग्री। टिप्पण: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	आयु: नहीं। शैक्षिक अर्हताएँ: हाँ।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणी जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित भू-वैज्ञानिक और भूविज्ञानी परीक्षा के माध्यम से होगी।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600 रु.) में ऐसे सहायक जलभू - विज्ञानी जिन्होंने उस श्रेणी में 02 वर्षों की नियमित सेवा की है और केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, राजीव गाँधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर / आईएसटीएम, नई दिल्ली या किसी भी अन्य प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से प्रवेश स्तरीय प्रबंधन पहलुओं तथा नेतृत्व कुशलता में 02 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली

		<p>है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :-</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 (47600 ₹.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 02 वर्ष की सेवा है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं।</p> <p>टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: -</p> <p>1. अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष ;</p> <p>2. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग -सदस्य;</p> <p>3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य</p> <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति:</p> <p>1. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य;</p> <p>3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य ।</p>	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वैज्ञानिक 'ख' (भूभौतिकीय)	इस अधिसूचना के नियम 7 के उपनियम (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिदीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 (56100 रुपये)	चयन	32 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण-1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)
<p>आवश्यक</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी या अनुप्रयुक्त भौतिकी या भूभौतिकी या अनुप्रयुक्त भूभौतिकी या समुद्री भूभौतिकी या एकीकृत एमएससी (अन्वेषी भूभौतिकी) या एमएससी (तकनीकी) (अनुप्रयुक्त भूभौतिकी) में मास्टर ऑफ साइंस डिग्री।</p> <p>टिप्पण: अर्हतायें अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएँ: हाँ</p> <p>टिप्पण: इस अधिसूचना की तारीख पर सहायक भूभौतिकीविद् की श्रेणी में विद्यमान अभ्यर्थी, जिनके पास रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रोनिक्स या भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में मास्टर डिग्री की अर्हता है, प्रोन्नति के लिए विचार करने हेतु पात्र होंगे। भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा स्नातक डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिकी का अध्ययन आवश्यक है।</p>

(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	<p>50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।</p> <p>50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।</p> <p>टिप्पण : सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित भू-वैज्ञानिक और भूविज्ञानी परीक्षा के माध्यम से होगी।</p>	<p>प्रोन्नति :</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में ऐसे सहायक भूभौतिक विज्ञानी जिन्होंने उस श्रेणी में 02 वर्षों की नियमित सेवा की है और केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, राजीव गाँधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर / आईएसटीएम, नई दिल्ली या किसी भी अन्य प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से प्रवेश स्तरीय प्रबंधन पहलुओं तथा नेतृत्व कुशलता पर 02 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :-</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 (47600 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 02 वर्ष की नियमित सेवा की है ; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएँ हों ।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: -</p> <p>1. अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>2. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य;</p> <p>3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य ।</p> <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति:</p> <p>1. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य;</p> <p>3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य ।</p>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. वैज्ञानिक 'ख' (रासायनिक)	इस अधिसूचना के नियम 7 के उपनियम (ग) में विनिर्दिष्ट अनुसार ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100 रुपये)	चयन	32 वर्ष से अधिक नहीं । टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।

(7)	(8)
<p>आवश्यक</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रासायनशास्त्र या अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र या विश्लेषणात्मक रासायन शास्त्र में मास्टर ऑफ साइंस डिग्री</p> <p>टिप्पण: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएँ : हाँ</p>

(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	<p>50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।</p> <p>टिप्पण : सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित भू-</p>	<p>प्रोन्नति :</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 में ऐसे सहायक रसानायज्ञ जिन्होंने उस ग्रेड में 02 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की है और केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, राजीव गाँधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर/आईएसटीएम, नई दिल्ली या किसी भी अन्य प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से प्रवेश स्तरीय प्रबंधन पहलुओं तथा नेतृत्व</p>

	<p>वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक परीक्षा के माध्यम से होगी।</p>	<p>कुशलता पर 02 सप्ताह के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 02 वर्ष की सेवा है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएँ हों।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

<p>(12)</p> <p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष ; 2. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य; 3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य । <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति:</p>	<p>(13)</p> <p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>
---	--

1. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- अध्यक्ष;
2. संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य;
3. सदस्य, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	- सदस्य ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. वैज्ञानिक 'ख' (जल्लोका विज्ञान)	इस अधिसूचना के नियम 7 के उपनियम (ड) में विनिर्दिष्ट अनुसार	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 (56100 रुपये)	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण -1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण -2: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)
<p>आवश्यक</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जल्लोका विज्ञान/भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी / गणित/ सांख्यिकी में मास्टर डिग्री</p> <p>(ii) जल्लोका विज्ञान कार्य में केंद्रीय /राज्य सरकार/स्वशासी निकाय/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों /मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालयों /संस्थानों में 3 वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हतायें, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएँ : हाँ

(9)	(10)	(11)
एक वर्ष	25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित भू-वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक परीक्षा के माध्यम से होगी।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 में सहायक जल्लोका विज्ञानी जिन्होंने इस श्रेणी में 02 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की है और केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, राजीव गाँधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर /आईएसटीएम, नई दिल्ली या किसी भी अन्य प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से प्रवेश स्तरीय प्रबंधन पहलुओं तथा नेतृत्व कुशलता पर 02 सप्ताह के

		<p>प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :-</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 02 वर्ष की सेवा है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हैं।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: -</p> <p>1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>2. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य</p> <p>3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य ।</p> <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति:</p> <p>1. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य;</p> <p>3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य ।</p>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>5. वैज्ञानिक 'ग'</p> <p>(क) (जल विज्ञान) वैज्ञानिक 'ग'</p> <p>(ख) (जलभूविज्ञान) वैज्ञानिक 'ग'</p> <p>(ग) (भूभौतिकी) वैज्ञानिक 'ग'</p> <p>(घ) (रासायनिक) वैज्ञानिक 'ग'</p> <p>(ङ) (जलोत्का विज्ञान) वैज्ञानिक 'ग'</p>	<p>इस अधिसूचना के नियम 7 में विनिर्दिष्ट अनुसार</p>	<p>साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय</p>	<p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 (67700 रु))</p>	<p>चयन</p>	<p>जलविज्ञान शाखा के लिए :- 40 वर्ष से अधिक नहीं।</p> <p>टिप्पण -1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण -2: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख खंड, लाहौल और स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख।</p> <p>अन्य शाखाओं के लिए :- लागू नहीं होता।</p>

(7)	(8)
<p>जल विज्ञान शाखा के लिए</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से जलविज्ञान में मास्टर डिग्री या सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री</p> <p>(ii) जलविज्ञान या भूमिजल जल विज्ञान में केंद्रीय /राज्य सरकार /स्वशासी निकाय/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में 5 वर्ष का अनुभव</p> <p>वांछनीय :</p> <p>भूजल अन्वेषण में विभिन्न नियोजित पद्धतियों का कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव ।</p> <p>टिप्पण1 : अर्हतायें, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> <p>अन्य शाखाओं के लिए : लागू नहीं होता ।</p>	<p>जल विज्ञान शाखा के लिए</p> <p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हता : हाँ।</p> <p>अन्य शाखाओं के लिए: लागू नहीं होता ।</p>

(9)	(10)	(11)
<p>जल विज्ञान शाखा के लिए : एक वर्ष ।</p> <p>अन्य शाखाओं के लिए : लागू नहीं होता ।</p>	<p>जल विज्ञान शाखा के लिए :</p> <p>40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ,</p> <p>60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।</p> <p>अन्य शाखाओं के लिए :</p> <p>सुनम्य कोटिपूरक योजना (एफसीएस) के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा ।</p>	<p>जलविज्ञान शाखा के लिए :</p> <p>प्रोन्नति :</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600 रु.) में ऐसे सहायक जलभू-विज्ञानी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 6 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की है और केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, राजीव गाँधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर/ आईएसटीएम, नई दिल्ली या किसी भी अन्य प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से प्रवेश स्तरीय प्रबंधन पहलुओं तथा नेतृत्व कुशलता पर 02 सप्ताह के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :-</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों</p>

		<p>या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या संविधिक या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 (56100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की है ; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हतायें, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> <p>अन्य शाखाओं के लिए : स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा । वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 (56,100 रु.) में ऐसे संबन्धित शाखा में वैज्ञानिक 'ख' जिन्होंने सुनम्य कोटिपूरक योजना के अनुसार उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति । वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700 रु.) में ऐसे संबन्धित शाखा में वैज्ञानिक 'ग' जिन्होंने सुनम्य कोटिपूरक योजना में उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की है।</p>
--	--	--

<p>(12)</p> <p>जल विज्ञान शाखा के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: -</p> <p>1. अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/ आयुक्त, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य;</p> <p>3. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य।</p>	<p>(13)</p> <p>जल विज्ञान शाखाओं के लिए : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। अन्य शाखाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>
--	--

<p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति:</p> <p>1. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य;</p> <p>3. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य ।</p> <p>अन्य शाखाओं के लिए : आंतरिक स्क्रीनिंग समिति :</p> <p>1. संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - अध्यक्ष ;</p> <p>2. क्षेत्रीय निदेशक (वैज्ञानिक शाखा), केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य;</p> <p>3. वैज्ञानिक (इ) अन्य संबन्धित सरकारी संस्थान से - सदस्य;</p> <p>4. डीएई या डीओएस या डीआरडीओ से नाम निर्देशित एक व्यक्ति जो कम से कम एक स्तर ऊपर हो - सदस्य</p> <p>अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी : सचिव/अपर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग</p> <p>मूल्यांकन बोर्ड :</p> <p>1. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - अध्यक्ष;</p> <p>2. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य;</p> <p>3. भूजल संसाधन के विकास और प्रबंधन से जुड़े क्षेत्र से केंद्रीय भूमिजल बोर्ड से बाह्य वैज्ञानिक 'घ' स्तर के तीन विशेषज्ञ -सदस्य ।</p> <p>अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी : प्रभारी मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय</p>	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>6.वैज्ञानिक 'घ'</p> <p>(क) (जल विज्ञान) वैज्ञानिक 'घ'</p> <p>(ख) (जलभू- विज्ञान) वैज्ञानिक 'घ'</p> <p>(ग) (भूभौतिकी) वैज्ञानिक 'घ'</p> <p>(घ) (रासायनिक) वैज्ञानिक 'घ'</p> <p>(ङ) (जलोत्का विज्ञान) वैज्ञानिक 'घ'</p>	इस अधिसूचना के नियम 7 में विनिर्दिष्ट अनुसार	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 12 (78800 रुपये)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा	सुनम्य कोटिपूरक योजना के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700 रु.) में ऐसे संबन्धित शाखा में वैज्ञानिक 'ग' जिन्होंने सुनम्य कोटिपूरक योजना के अनुसार उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की है।

(12)	(13)
<p>'आंतरिक स्क्रीनिंग समिति'</p> <ol style="list-style-type: none"> संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - अध्यक्ष; सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य; वैज्ञानिक 'ई', अन्य संबन्धित सरकारी संस्थान से - सदस्य; डीएई या डीओएस या डीआरडीओ के कम से कम एक स्तर ऊपर के नामित सदस्य - सदस्य। <p>मूल्यांकन बोर्ड</p> <ol style="list-style-type: none"> सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - अध्यक्ष; अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य; भूजल संसाधन के विकास और प्रबंधन से जुड़े क्षेत्र से केंद्रीय भूमिजल बोर्ड से बाह्य वैज्ञानिक 'ड' स्तर के तीन विशेषज्ञ - सदस्य। <p>अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी : प्रभारी मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए. 31017/01/2017-जीडब्ल्यूई (भाग- I)]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

New Delhi, the 10th February, 2020

G.S.R. 35 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Ground Water Board (Scientific Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President is hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Scientific Group 'A' posts in the Central Ground Water Board, namely:-

1. Short-title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board (Scientific Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules unless, the context otherwise requires:

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

- (b) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation;
- (c) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted to consider promotion or confirmation in any grade;
- (d) "Government" means the Government of India;
- (e) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;
- (f) "Regular Service" in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointment thereto under these rules and includes any period or periods-
- (i) taken into account for the purpose of seniority in the case of those appointment at the initial constitution of the service;
- (ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post;
- (g) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meaning as assigned to them in clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution;

3. Application .—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule.

4. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall, save as provided in rule 8, be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

5. The method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

6. Procedure for in-situ Promotion under Flexible Complementing Scheme (FCS).-

(i) In situ promotion from Scientist 'B' to Scientist 'C' and Scientist 'C' to Scientist 'D' will be done as per guideline issued by the DoP&T OM No.AB-14-17/37/2008-Estt (RR) dated 10.09.2010 and as amended from time to time. In-situ promotion under Flexible Complementing Scheme is applicable to Group 'A' Scientist posts only. Scientists or Technical experts doing management or administrative work in the Departments or Ministries should not be considered for up gradation under Flexible Complementing Scheme, they should only be given benefits of up gradation under Modified Assured Progression Scheme.

(ii) All the posts covered under Flexible Complementing Scheme shall carry the following uniform level in the pay matrix, designation and the minimum residency period linked to performance.

Designation of post.	Level in the Pay Matrix	Minimum Residency period linked to performance
Scientist 'D'	Level- 12 (Rs.78800) in the pay matrix.	-
Scientist 'C'	Level-11 (Rs.67700) in the pay matrix.	Four years.
Scientist 'B'	Level- 10 (Rs.56100) in the pay matrix.	Three years.

(iii) There shall be two level of assessment, the first level shall be at internal level for screening purposes and the next level shall be for external assessment purposes for selection and for this purpose:

(a) (i) The review for promotion under Flexible Complementing Scheme by the Screening Committee shall be done twice in a year, before 1st January and 1st July of every year.

(ii) All candidates who have completed the prescribed period of residency shall be reviewed for promotion by the Assessment Board twice a year namely before the 1st January and the 1st July of every year.

(iii) The cases maturing for promotion under Flexible Complementing Scheme during January to June of the year shall be taken up for review in the month of July of that year and the cases maturing for promotion during July to December of a year shall be taken up for review in the month of January of the next year.

(b) Where an eligible officer is on foreign service or study leave in India or abroad, his or her case shall be considered and if such person has been approved for in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme to the next higher grade, the effective date of such promotion shall be from the date of resumption of duty in the Central Ground Water Board and financial benefit shall accrue from the same date and no travelling allowance or dearness allowance shall be provided to attend the interview;

(c) The exceptionally meritorious candidates with all outstanding grading may be granted relaxation in the residency period, the relaxation being not more than one year on any single occasion, limited to a maximum of two occasions in their entire career. The assessment under the Flexible Complementing Scheme for next grade shall only be three times and thereafter, the Scientist would be covered under Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme according to provision of that scheme and the Scientists who have been granted any grade under Modified Assured Career Progression Scheme may be considered for next grade under Flexible Complementing Scheme.

(d) Field experience in research and development and/ or experience in implementation of such scientific projects is compulsory for promotion of Scientists to higher grades under the Flexible Complementing Scheme.

(iv) The First level of Internal Screening shall be done by the screening committee specified in column (12) of Schedule, which shall evaluate the annual work reports in accordance within the criteria for up gradation under the Flexible Complementing Scheme. All eligible Scientists according to the provision of Modified Flexible Complementing Scheme and who meet the benchmark as per instruction of Department of Personnel and Training from time to time, shall be screened in the Internal Screening Committee (ISC) would report on the scientific content of work done by the Scientists in. The Internal Screening Committee shall report on the scientific content of work done by the Scientists in following reporting format and same shall be made available to the external assessment committee.

Internal Screening Committee Report:

1. Grading of the scientific and technical content of work reported:
2. Specific Innovation elements recognized:
 - (A)
 - (B)
 - (C)
3. Relative Assessment of the work reported vis-a-vis Peers in the area [Top 10 per cent 10-33 per cent 33-50 per cent 50-75 per cent Bottom 25 per cent]
4. Assessment of the work done during the residency period
5. Specific highlights of the scientific and technical content of the work done
6. Overall grading of the scientific and technical work report for the residency
Period [Top 10 per cent 10-33 per cent 33-50 per cent 50-75 per cent Bottom 25 per cent]
Signatures of the Members of the Internal Screening Committee

(v) The Approving Authority (Screening), specified in column (12) of Schedule shall consider all cases recommended by the Internal Screening Committee and approve the same and in case it decides that any officer does not qualify for consideration for promotion by the Assessment Board, his or her case shall be placed before the Internal Screening Committee after one year for its consideration and the procedure for Screening as specified in sub rule (iv) shall be followed again.

(vi) For the purpose of second level of external assessment (external):

(a) for evaluating suitability of Scientists for in-situ promotion; all Scientists who have been screened-in and recommended by the Internal Screening Committee [and approved by the Approving Authority (Screening)] shall be assessed by the Assessment Board specified in Column (12) of Schedule;

(b) the Assessment Board shall evaluate the accomplishments of each Scientist in terms of their work and recommend his or her suitability for promotion to the higher grade and the said Board shall, apart from the accomplishments of such officer during the period under consideration, also keep in mind the keenness exhibited by such officer in the pursuit of his or her profession and ability to take up higher responsibilities including scientific activities and services and development capabilities, managerial or leadership qualities.

(c) The Assessment Board after taking into consideration performance and merit of each Scientist shall, document specifically through one page summary, the specific content of the work done justifying the merit for consideration under the Flexible Complementing Scheme. The Assessment Board shall specifically certify that the Scientists so recommended met with all the criteria for in situ up-gradation under the Flexible Complementing Scheme.

(d) On the basis of its assessment, the Assessment Board may recommend any one of the following:-

- (i) Promotion of the Officer to the next higher grade; or
- (ii) Status quo-i.e. no change in the grade;

(e) Cases of those officers who have been recommended status quo by the Assessment Board shall again be considered by the Internal Screening Committee after a period of one year subject to his or her satisfactory performance.

(f) The Scientists who fail to appear physically for the Assessment for the reasons of leave or deputation or Foreign Services shall not be eligible for in-situ promotion.

(vii) The recommendations made by the Assessment Board shall be considered by the Approving Authority (Assessment) specified in Column (12) of Schedule and its decision on each case shall be final.

7. Number of Posts in each discipline will be as under:

Hydrogeology Discipline:

(a) The total number of posts in the Hydrogeology discipline shall be 290, which is subject to variation depending on workload. These posts can be in any of the grades of Scientist 'B' or Scientist 'C' or Scientist 'D'. The shortfall occurring in a year in the total strength of 290 officers in the Hydrogeology discipline shall be the vacancies arising in that particular year at the level of Scientist 'B' (Hydrogeology discipline) cannot exceed 174.

Geophysics Discipline:

(b) The number of posts in the Geophysics discipline shall be 31. This total number of 31 posts is subject to variation depending on workload. These posts can be in any of the grades of Scientist 'B' or Scientist 'C' or Scientist 'D'. The shortfall occurring in a year in the total strength of 31 officers in the Geophysics discipline shall be the vacancies arising in that particular year at the level of Scientist 'B' provided that total no. of posts in the grade of Scientist 'B' (Geophysics) cannot exceed 25.

Chemical Discipline:

(c) The number of posts in the Chemical discipline shall be 32. This total number of 32 posts is subject to various depending on workload. These posts can be in any of the grades of Scientist 'B' or Scientist 'C' or Scientist 'D'. The shortfall occurring in a year in the total strength of 32 officers in the Chemical discipline shall be the vacancies arising in that particular year at the level of Scientist 'B' provided that total no. of posts in the grade of Scientist 'B' (Chemical) cannot exceed 23.

Hydrology Discipline:

(d) The number of posts in the Hydrology discipline shall be eight. This total number of eight posts is subject to various depending on workload. These posts can be in any of the grades of Scientist 'C' or Scientist 'D'. The shortfall occurring in a year in the total strength of eight officers in the Hydrology discipline shall be the vacancies arising in that particular year at the level of Scientist 'C' provided that total no. of posts in the grade of Scientist 'C' cannot exceed seven.

Hydrometeorology Discipline:

(e) The total number of posts in the Hydrometeorology discipline shall be nine. This total number of nine posts is subject to variation depending on workload. These posts can be in any of the grades of Scientist 'B' or Scientist 'C' or Scientist 'D'. The shortfall occurring in a year in the total strength of nine officers in the Hydrometeorology discipline shall be the vacancies arising in that particular year at the level of Scientist 'B'.

(f) Flexible Complementing Scheme for in situ promotion shall be followed in respect of Departmental Scientists, from the grades of Scientists 'B' to Scientist 'C' and Scientist 'C' to Scientist 'D' and there shall be complete interchangeability in these grades without any restriction except the total number of officers taken together in each discipline shall not exceed the total number of sanctioned posts in that discipline, which are subject to change depending on workload.

8. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

9. Filling up of vacancies arising due to promotion or vacation of the post by a Scientist due to resignation or retirement or death:

(1) A Scientist promoted in-situ after a review shall carry the post with him and consequently no vacancy is caused.

(2) When a vacancy is caused due to a Scientist vacating a post by retirement on superannuation or voluntary retirement or resignation or death, the same shall be filled in at the level of Scientist 'B' in their respective disciplines, except Hydrology discipline, in accordance with the roster for direct recruitment or promotion. In case of Hydrology discipline, such vacancy shall be filled in at the level of Scientist 'C' in accordance with the roster for direct recruitment or promotion.

10. Liability for Service in any part of India or outside: Officers appointed to the said posts shall be liable to serve anywhere in India or outside.

11. Power to relax-: where Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reason to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

12. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post (1)	Number of Post (2)	Classification (3)
1. Scientist 'B' (Hydrogeology)	As specified in Sub-rule (a) of rule 7 of this notification	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial

Level in pay matrix (4)	Whether selection post or non selection post (5)	Age-limit for direct recruits (6)
Level- 10 (Rs.56100) in the pay matrix	Selection	Not exceeding 32 years. Note-1: Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note-2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits (7)	Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8)
Master's degree in Geology or Applied Geology or Marine Geology or Hydrogeology from a recognized University or Institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing. In the case of candidates otherwise well qualified.	Age: No. Educational Qualifications: Yes.

Period of probation, if any (9)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods (10)	In the case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made (11)
Two years	50 % by promotion failing which by deputation (including short term contract), 50 % by direct recruitment. Note: Direct Recruitment will be through Combined Geo-Scientist and Geologist Examination conducted by the Union Public Service Commission.	Promotion: Assistant Hydrogeologists in level- 8 (Rs.47600/-) in the pay matrix with two years regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in induction level management aspects and leadership traits from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur/ ISTM, New Delhi or any other Government reputed training Institutes. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being

		<p>considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract): Officers under the Central or State Government or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organizations:-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 8 (Rs. 47600) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under Column No. (7).</p> <p>Note : The departmental officers in the feeder Category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
<p>(12)</p> <p>Group 'A' Departmental Promotion Committee :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission. 2. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation. 3. Member, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation. <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation. 2. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation. 3. Member, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation. 	<p>(13)</p> <p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.</p> <p>- Chairman;</p> <p>- Member;</p> <p>- Member.</p> <p>- Chairman;</p> <p>- Member;</p> <p>- Member.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientist 'B' (Geophysics)	As specified in Sub-rule (b) of rule 7 of this notification.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial	Level- 10 (Rs.56100) in the pay matrix.	Selection	Not exceeding 32 years. Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

(7)	(8)
<p>Essential</p> <p>Master of Science degree in Physics or Applied Physics or Geophysics Or Applied Geophysics or Marine Geophysics or Integrated M.Sc (Exploration Geophysics) or M.Sc (Technology) (Applied Geophysics) from a recognised University or Institute.</p> <p>Note: Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p>	<p>Age: No</p> <p>Educational Qualifications: Yes</p> <p>Note: Existing incumbents in the Grade of Assistant Geophysicist on the date of this notification, possessing the qualification of Master's Degree in Radio Physics and Electronics or Geology or Applied Geology will be eligible for consideration for promotion. Incumbents possessing Master's Degree in Geology or Applied Geology must have had Physics as one of the subjects at the Bachelor's Degree level.</p>

(9)	(10)	(11)
Two years	<p>50% by promotion failing which by deputation (including short term contract),</p> <p>50 % by direct recruitment.</p> <p>Note: Direct Recruitment will be through Combined Geo-Scientist and Geologist Examination conducted by the Union Public Service Commission.</p>	<p>Promotion:</p> <p>Assistant Geophysicist in level-8 (Rs.47600/-) in the pay matrix with two years regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in induction level management aspects and leadership traits from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi or any other Government reputed training Institutes.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract):</p> <p>Officers under the Central or State Government or Union Territories or Universities or</p>

		<p>Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings/ Statutory or Autonomous Organizations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent Cadre or Department; or</p> <p>(ii) with two years' regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 8 (Rs.47600/-) in the pay matrix or equivalent in the parent Cadre or Department ; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column No. (7).</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee :</p> <p>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission; - Chairman;</p> <p>2. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Member;</p> <p>3. Member, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. - Member.</p> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee :</p> <p>1. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Chairman;</p> <p>2. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Member;</p> <p>3. Member, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Scientist 'B' (Chemical)	As specified in Sub-rule (c) of rule 7 of this notification	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level-10 (Rs.56100) in the pay matrix	Selection	<p>Not exceeding 32 years.</p> <p>Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.</p>

(7)	(8)
<p>Essential: Master of Science degree in Chemistry or Applied Chemistry or Analytical Chemistry from a recognised University or Institute.</p> <p>Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p>	<p>Age : No Educational Qualifications: Yes</p>

(9)	(10)	(11)
Two years	<p>50% by promotion failing which by deputation (including short term contract)., 50% by Direct Recruitment.</p> <p>Note: Direct Recruitment will be through Combined Geo-Scientist and Geologist Examination conducted by the Union Public Service Commission.</p>	<p>Promotion: Assistant Chemist in level 8 (Rs.47600/-) in the pay matrix with two years regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in induction level management aspects and leadership traits from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi or any other Government reputed training Institutes.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract): Officers under the Central or State Government or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings/ Statutory or Autonomous Organizations:-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with two years' regular service rendered after appointment to the post on regular basis in the Level-8 in the pay matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruitment under Column No. (7).</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee:</p> <p>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission; - Chairman;</p> <p>2. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Member;</p> <p>3. Member, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. - Member.</p> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee :</p> <p>1. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Chairman;</p> <p>2. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Member;</p> <p>3. Member, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Scientist 'B' (Hydrometeorology)	As specified in Sub-rules (e) of rule 7 of this notification	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 (Rs.56100) in the pay matrix.	Selection	Not exceeding 35 years. Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

(7)	(8)
<p>Essential:</p> <p>(i) Master's degree Meteorology or Physics or Applied physics or Geophysics or Mathematics or Statistics from a recognized University or Institute.</p> <p>(ii) Three years' experience in Central or State Govt. or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Recognised Universities or Institutes in Meteorological work.</p> <p>Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Age: NO</p> <p>Educational Qualifications: No</p>

(9)	(10)	(11)
One year.	<p>25% by promotion failing which by deputation (including short-term contract).,</p> <p>75 % by Direct Recruitment.</p> <p>Note: Direct Recruitment will be through Combined Geo-scientist and Geologist Examination conducted by the Union Public Service Commission.</p>	<p>Promotion:</p> <p>Assistant Hydrometeorologist in level 8 (Rs. 47600/-) in the pay matrix with two years regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in induction level management aspects and leadership traits from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi or any other Government reputed training Institutes.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their</p>

		<p>qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract): Officers under the Central or State Government or Universities or Union Territories or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organizations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with two years' regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level-8 in the pay matrix or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column No. (7).</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee:</p> <p>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission; - Chairman;</p> <p>2. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Member;</p> <p>3. Member, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. - Member.</p> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee :</p> <p>1. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Chairman;</p> <p>2. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Member;</p> <p>3. Member, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Scientist 'C' (a) Scientist 'C' (Hydrology) (b) Scientist 'C' (Hydrogeology) (c) Scientist 'C' (Geophysics) (d) Scientist 'C' (Chemical) (e) Scientist 'C' (Hydrometeorology)	As specified in rule 7 of this notification.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 (Rs. 67700/-) in the pay matrix.	Selection	For Hydrology Discipline:-Not exceeding 40 years. Note 1: Relaxable for Government Servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territories of Ladakh and Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. For other Disciplines:- Not applicable.

(7)	(8)
For Hydrology discipline: Master's degree in Geology or Hydrology or Bachelor Degree in Civil Engineering from University or Institutes. (ii) Five years' experience in Central or State Government or Autonomous Bodies or PSUs or Recognised Universities or Institutes in Hydrology or ground water hydrology. Desirable: At least one year experience of working in different methods employed in the ground water exploration. Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. For other discipline: Not applicable.	For Hydrology discipline: Age: No Educational Qualification: Yes For other disciplines: Not applicable.

(9)	(10)	(11)
For Hydrology discipline: One year. For other disciplines: Not applicable.	For Hydrology discipline: 40 % by promotion failing which by deputation (including short-term contract); 60 % by direct recruitment. For other disciplines: By in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme.	For Hydrology discipline: Promotion : Assistant Hydrologist in level-8 (Rs.47600/-) in the pay matrix with 6 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and have successfully completed two weeks training in middle level management aspects and leadership traits from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi or any other Government reputed training Institutes. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for

	<p>promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract): Officers under the Central or State Government or Universities or Union Territories or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organizations:</p> <p>(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with five years' regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level 10 (Rs.56100/-)in the pay matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and</p> <p>(B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column No. (7).</p> <p>Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>For other disciplines: By in-situ promotion. Scientist 'B' in concerned discipline in the level 10 (Rs.56100/-) in the pay matrix with three years regular service in the grade according to Flexible Complementing Scheme. In-situ promotion under Flexible Complementing Scheme. Scientist 'C' in concerned discipline in the level 11 (Rs.67700/-) in the pay matrix with four years regular service in the grade according to Flexible Complementing Scheme.</p>
--	--

(12)	(13)
<p>For Hydrology discipline: Group-'A' Departmental Promotion Committee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission; - Chairman; 2. Additional Secretary or Joint Secretary or Commissioner, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Member; 3. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. - Member. <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation; - Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation ; - Member; 3. Member, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. - Member. <p>For other disciplines: Internal Screening Committee:</p>	<p>For Hydrology disciplines: Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.</p> <p>For other discipline. Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

<p>1. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Chairman;</p> <p>2. Regional Director (Scientific Discipline), Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources; River Development and Ganga Rejuvenation; - Member;</p> <p>3. Scientist E from other relevant Government Institution; - Member;</p> <p>4. A nominee of Department of Atomic Energy or Department of Space or Defence Research and Development Organisation of at least one level above. - Member.</p> <p>Approving Authority:</p> <p>Secretary or Additional Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.</p> <p>Board of Assessment:</p> <p>1. Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Chairman;</p> <p>2. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. . - Member;</p> <p>3. Three experts of the level of Scientist 'D' or above in the field of Development and Management of Ground Water Resources from outside Central Ground Water Board. - Members.</p> <p>Approving Authority: Minister-in-charge, Ministry of Jal Shakti.</p>	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Scientist 'D' (a) Scientist 'D' (Hydrology) (b) Scientist 'D' (Hydrogeology) (c) Scientist 'D' (Geophysics) (d) Scientist 'D' (Chemical) (e) Scientist 'D' (Hydrometeorology)	As specified in rule 7 of this notification.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level 12 (Rs. 78800) in the pay matrix.	Selection	Not applicable

(7)	(8)
Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme	In-situ promotion under Flexible Complementing Scheme. Scientist 'C' in concerned discipline in level-11 (Rs.67700/-) in the pay matrix with four years regular service in the grade according to Flexible Complementing Scheme.

(12)	(13)
'Internal Screening Committee' 1. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
2. Member, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Member ;	
3. Scientist E – From other relevant Government Institution; - Member;	

<p>4. A nominee of Department of Atomic Energy or Department of Space or Defense Research and Development Organisation of at least one level above. – Member.</p> <p>Board of Assessment:</p> <p>1. Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Chairman;</p> <p>2. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; - Member;</p> <p>3. Three experts of the level of Scientist 'E' or above in the field of Development and Management of Ground Water Resources from outside Central Ground Water Board. - Members.</p> <p>Approving Authority: Minister-in-charge, Ministry of Jal Shakti.</p>	
--	--

[F.No. A.31017/01/2017-GWE (Part-I)]

S.K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 36.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख') वैज्ञानिक पद भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधीन केंद्रीय जल आयोग में अनुसंधान अधिकारी, सहायक अनुसंधान अधिकारी और ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख') वैज्ञानिक पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**— ये नियम इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. अनुसंधान अधिकारी	08* (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56,100-177500 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 8 (47600-151100 रुपए) में ऐसे सहायक अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो और राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे से जल गुणवत्ता प्रयोगशाला प्रबंधन, रिमोट सेंसिंग उपयोजन और जल गुणवत्ता जिसमें अवसाद विश्लेषण सम्मिलित है अनुवीक्षा में भू-वैज्ञानिक सूचना प्रणाली में 2 हफ्ते का स्तर-3 प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 (53100- 167800 रुपए) या स्तर 8 (47600-151100 रुपए) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो, और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन शास्त्र में मास्टर्स डिग्री; और

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थानों से रसायन शास्त्र में अनुसंधान का 5 वर्ष का अनुभव।

टिप्पण-1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य 3. निदेशक (स्थापन) या उप सचिव (स्थापन), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य, विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. प्रधान इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग - अध्यक्ष 2. निदेशक (स्थापन) या उप सचिव (स्थापन), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य 3. सचिव, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सहायक अनुसंधान अधिकारी	28*(2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 8 (47600-151100 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900-142400 रुपए) में के ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो और राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे से जल गुणवत्ता अनुवीक्षा और निर्धारण, नेशनल एक्स्ट्रिक्शन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एवं केलीब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएवीएल) प्रत्यायन प्रणाली और डेन्ट ऑन एट्रानिक एक्सप्लान स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आयन क्रोमेटोग्राफ, टोटल आरगेनिक केरन एनालाइजर और गैस क्रोमेटोग्राफ में दो हफ्ते का स्तर-11 प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900 - 142400 रुपए) या समतुल्य पद में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में मास्टर्स डिग्री रखते हों; और (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थानों से रसायन शास्त्र में अनुसंधान का 3 वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण-1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण-2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग - अध्यक्ष 2. निदेशक (स्थापन) या उप सचिव (स्थापन), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय - सदस्य 3. सचिव, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य 4. निदेशक, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक	70 (2020) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900-142400 रुपए)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनाधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन शास्त्र में मास्टर्स डिग्री।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी वीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहा है। (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय/पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग - अध्यक्ष 2. निदेशक (स्थापन) या उप सचिव (स्थापन), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य 3. सचिव, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य 4. निदेशक, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए-12018/16/2017-ई-1]

ए. के. दास, अवर सचिव

New Delhi, the 12th February, 2020

G.S.R.36.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water Commission (Group 'A' and Group 'B') Scientific Posts Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Officer, Assistant Research Officer and Senior Research Assistant in the Central Water Commission under the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission (Group 'A' and Group 'B') Scientific Posts Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.—The number of the said posts, their classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification of the post	Level in the Pay Matrix	Selection post or Non-Selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Research Officer	08* (2020) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A' (Gazetted) Non-Ministerial	Level-10 in the pay matrix (Rs 56,100-177500)	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years for promotees	Promotion failing which by deputation	<p>Promotion: Assistant Research Officer in the level-8 (Rs 47,600-1,51,100/-) in the pay matrix with two years regular service in the grade and having successfully completed Level-III training of two weeks in Water Quality laboratory management, Applications of Remote Sensing and Geological Information System in monitoring water quality including analysis of sediment from National Water Academy, Pune.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories: (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-9 (Rs 53100-1,67,800/-) or level-8 (Rs 47600-1,51,100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience:- (i) Master's degree in Chemistry from a recognised University or recognised institute; and (ii) Five years research experience in Chemistry from the Central Government or the State Government or Union territories or Universities or recognised Institutions.</p> <p>Note 1.- The Period of deputation including period</p>

			<p>of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2.- The official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Department Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Chief Engineer, Central Water Commission – Member; 3. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member.</p> <p>Departmental confirmation committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>1. Chief Engineer, Central Water Commission – Chairman; 2. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member; 3. Secretary, Central Water Commission – Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Research Officer	28*(2020) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', (Gazetted) Non-Ministerial	Level- 8 in the pay matrix (Rs 47600-1,51,100)	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: Senior Research Assistant in the level-7 (Rs. 44,900- 1,42,400) in the pay matrix with two years regular service in the grade and having successfully completed Level-II training of two weeks in Water Quality monitoring and assessment, National Accreditation Board for testing and calibration Laboratories (NABL) Accreditation process and Hands on Atomic absorption spectrophotometer, Ion Chromatograph, Total Organic Carbon Analyzer and Gas Chromatograph from National Water Academy, Pune.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

			<p>Deputation: Officers under the Central Government or the State Governments or Union territories: (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in posts in level-7 (Rs44,900-1,42,400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department, and (b)(i) possessing Masters degree in Chemistry from a recognised University; and (ii) three years research experience in Chemistry from the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised Institutions.</p> <p>Note 1.- The Period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2.- The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>Department promotion committee (for considering promotion existing of :- 1. Chief Engineer, Central Water Commission – Chairman; 2. Director (Establishment) or Deputy Secretary(Establishment), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member; 3. Secretary, Central Water Commission – Member; 4. Director Central Water Commission - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Senior Research Assistant	70* (2020) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B' (Non-gazetted) Non-Ministerial	Level – 7 in the pay matrix (Rs.44,900-1,42,400)	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	Masters degree in Chemistry from a recognised University or Institution.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	Direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

(12)	(13)
Departmental confirmation committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Chief Engineer, Central Water Commission - Chairman; 2. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti - Member; 3. Secretary, Central Water Commission - Member; 4. Director, Central Water Commission - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/16/2017-E-I]

A.K. DAS, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2020

सा.का.नि.37.— राष्ट्रपति, अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत रेल संरक्षा आयोग में रेलवे निरीक्षणालय सेवा में वरिष्ठ निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे निरीक्षणालय सेवा [वरिष्ठ निरीक्षक (तकनीकी)] भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उन वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं इत्यादि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.—** वह व्यक्ति,
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ निरीक्षक (तकनीकी)	25 (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसूचिवीय	लेवल-7 (रु.44900-142400)	लागू नहीं होता	लागू नहीं	अनिवार्य लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए प्रमोटी के आवेदन देने के मामले में निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हता	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र या विश्व विद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के तहत अधिकारी:
(क) (1) पैतृक संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना: या (2) ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा के साथ नियुक्ति के बाद लेवल 6 (रु 35400-112400) वेतन मैट्रिक्स के पदों में नियमित आधार पर या पैतृक संवर्ग या विभाग में समकक्ष : तथा
(ख) अनुभव और शैक्षिक योग्यता रखने:
(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग या यांत्रिक इंजीनियरिंग या विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और संचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या
(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग या यांत्रिक इंजीनियरिंग या विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और संचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और दूरसंचार इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और सम्बन्धित विषय में सरकारी संगठन में दो साल का अनुभव ।

नोट (1): प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य कॉन्डर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित (अल्पकालिक अनुबंध सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट (2): प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं।	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-11013/30/2015-आर.एस.]

संतोष कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 18th February, 2020

G.S.R. 37.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Inspector (Technical) in the Railway Inspectorate Service in the Commission of Railway Safety in the Ministry of Civil Aviation, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Railway Inspectorate Service [Senior Inspector(Technical)] Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and level in the pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non selection post	Age-limits for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Inspector (Technical)	25(2020) * (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group "B", Non-Gazetted, Non Ministerial	Level-7 (Rs. 44900 – 142400)	Not applicable	Not applicable	Essential Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Deputation including short-term contract

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made

(11)

Deputation (including short-term contract):

Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations,-

a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience:-

(i) Bachelors Degree in Civil Engineering or Mechanical Engineering or Electrical and Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or Institution;

Or

(ii) Diploma in Civil Engineering or Mechanical Engineering or Electrical and Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or Institution and having two years' experience of duty in a Government Organisation in the related subject.

Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 2: The Maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

(12)

Not applicable

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(13)

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary for filling up the post.

[F.No. A-11013/30/2015-RS]

S. K. SINGH, Under Secy.